"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2013—पौष 14, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्रमांक ई 7-37/2004/1-2.— श्री डी. के. श्रीवास्तव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 26-12-2012 से 03-01-2013 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 25 दिसंबर, 2012 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 3-17/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को **प्रयोग में लाते** हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा में **भर्ती से संबंधित** निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— **(1) ये** नियम छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2012 कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्तियां सौंपी गई हों या इसके पश्चात् सौंपी जाएं;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची—तीन के कॉलम (5) तथा अनुसूची—चार के कॉलम (4) के अनुसार नियुक्ति या पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु गठित समिति;

(ग) "चयन" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार द्वारा चयन;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा अथवा मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में, ऐसे पदों को, मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़कर, जिन्हें उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे, तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियॉं, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाए अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– परीक्षा/चयन में स्पर्धा हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु**— (क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण (अस्थायी) सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी

शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(च) परिवार कल्याण (योजना) कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य/ निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के

पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्त उल्लिखित एक या एक से अधिक संवर्ग के अंतर्गत आयु में छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हता**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित हैं।

(तीन) **फीस**–अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.– (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**– नियुक्ति प्राधिकारी तीन सदस्यों को मिलाकर एक चयन समिति गठित करेगा।

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती**– (एक) सेवा में भर्ती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे;

(दो) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा;

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार आरक्षित रखा जाएगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होंगे।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगी । यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची–चार के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित होंगे:

परंतु इस उप–नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता की शर्तें.**– समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– (1) पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जानी है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु चयन, मेरिट तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता (वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता) के आधार पर किया जायेगा।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**—(1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप–सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	73 (10 पद सांख्येत्तर)	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	
2.	उद्यान विकास अधिकारी	92	तृतीय श्रेणी (अलिपिक पर्गीय)	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	
3.	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	427	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवा से व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	73 (10 पद सांख्येत्तर)	80%	20 %	–
2.	उद्यान विकास अधिकारी	92	10%	90%	–
3.	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	427	100%	–	–

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	उद्यानिकी में स्नातकोत्तर	संचालक उद्यानिकी द्वारा नाम निर्देशि... (1) संयुक्त संचालक, उद्यानिकी– अध्यक्ष (2) उप संचालक, उद्यानिकी– सदस्य (3) संचालक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य, जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा – सदस्य
2.	उद्यान विकास अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–	उद्यानिकी/कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/बायो–टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि	
3.	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–	उद्यानिकी/कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/बायो–टेक्नोलॉजी /जीव विज्ञान में स्नातक उपाधि ।	

अनुसूची–चार
(नियम 14 देखिये)

स. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये पात्रता हेतु अनुभव की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उद्यान विकास अधिकारी	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	5 वर्ष	संचालक द्वारा नाम निर्देशित (1) संयुक्त संचालक, उद्यानिकी–अध्यक्ष (2) उप संचालक, उद्यानिकी–सदस्य (3) संचालक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य, जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा–सदस्य	
2.	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विकास अधिकारी	5 वर्ष	–तदैव–	

Raipur, the 21st December 2012

No. F 3-17/2012/14-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment of the Chhattisgarh Horticulture Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Horticulture Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012.
   (2) These rule shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" in respect of a service means such authority to whom the powers of appointment to the service or post has been conferred by Government or may be conferred later;
   (b) "Committee" means the Committee constituted for selection of the candidates for the appointment or promotion as per column (5) of Schedule-III and column (4) of Schedule-IV;
   (c) "Selection" means the selection by the competitive examination or interview held for recruitment to the service under rule 11 of these rules;
   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
   (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government, vide Notification No. F-8-5 XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;
   (j) "Service" means the Chhattisgarh Horticulture Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service;
   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.-** The service shall consist of the following persons, namely:-
   (a) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
   (b) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
   (c) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of post included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

   Provided that, the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service and pay scale, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

   (a) By direct recruitment on the basis of competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;
   (b) By promotion of the members of the service as specified in column (2) of Schedule-IV;
   (c) By transfer/deputation of the persons who hold in a substantive/officiating capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

   (2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

   (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so requires, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administrative Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment on the merit basis, the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however it shall be mandatory for Appointing Authority to constitute a Selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the direction issued by the General Administrative Department from time to time shall also be applicable.

7. **Appointment in the service.-** All appointments in the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age- (a) A candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not have attained the age specified in column (4) of said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selections;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(c) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years to women candidate, as per provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is permanent/temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporary and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all (temporary) service previously rendered by him upto a maximum of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at the Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(ii) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short-term engagement,

(b) fulfilling the conditions of enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Units;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(v) Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;
(vi) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(vii) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc;
(viii) Ex-serviceman invalidated out of service.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 2 years in respect of Green Card holder candidates under Family Welfare (Planning) Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 5 years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveer Chand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder Young Candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of the candidates who are employees of the Chhattisgarh State/ Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guard for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They shall, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.
(2) In no other case these age limits be relaxed, departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(k) In respect of age limit, the direction issued by the General Administration Department from time to time, shall also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government service shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(II) Educational Qualifications- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fee- The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

9. Disqualification.- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidates shall be final.- The decision of the Appointing Authority as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. Direct recruitment by competitive examination/selection.- (1) Direct recruitment by competitive examination- Appointing Authority shall constitute a Selection Committee consisting of three members.

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) Direct recruitment by Selection– (i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine.

(ii) The selection of candidates for the service shall be made by the Selection Committee.

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and order issued by the Government from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (3).

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for the woman candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled by direct recruitment and in the opinion of the Competent Authority, it is found that the sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, is not likely to be available, then the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for physically disabled candidates shall be applicable as per the directions issued by the General Administration Department from time to time.

12. List of candidates recommended by the Selection Committee.- (1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards, as may be determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members specified in column (5) of Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of Committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.
(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.
(3) Promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.
(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.

14. **Conditions of eligibility for Promotion/Transfer.-** (1) The Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of the service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Manner of computation for eligibility for promotion- The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the feeder cadre/part of service/pay scale of post.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.
(3) Promotion shall be made as per reservation roster prescribed by the Government.

15. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and the promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.
(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability (seniority subject to fitness) in all respects.
(3) The names of employees included in the list shall be arranged in the order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.
Explanation- The person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select list.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the Select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (3) of the Schedule-IV.

(2) The Select list for promotion shall be ordinarily valid up to 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list, may be made at the instance of the Government and he may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list.- (1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre in the order in which their names appear in the list in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person, whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable of appointment to the service.

18. Probation.- Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PARSNATH RAM, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

S. No.	Name of the post included in the service	Total number of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Senior Horticulture Development Officer	73 (10 Post Super numerical	Class-III (Non-ministerial)	9300-34800 Gr. Pay 4300	
2.	Horticulture Development Officer	92	Class-III (Non-ministerial)	5200-20200 Gr. Pay 2800	
3.	Rural Horticulture Extension Officer	427	Class-III (Non-ministerial)	5200-20200 Gr. Pay 2400	

SCHEDULE-II

(See rule 6)

S. No.	Name of the Service/Post	Total Number of duty posts	Percentage of the duty posts to be filled in		
			By direct recruitment [See rule 6 (1)(a)]	By promotion of the members of the service [See rule 6 (1)(b)]	By transfer of person from other service [See rule 6 (1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Senior Horticulture Development Officer	73 (10 post Super numerical	80%	20%	-
2.	Horticulture Development Officer	92	10%	90%	-
3.	Rural Horticulture Extension Officer	427	100%	-	-

SCHEDULE-III

(See rule 8)

S. No.	Name of the Service /Posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualifications	Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Senior Horticulture Development Officer	21 year	30 year (35 year for domicile resident of Chhattisgarh State)	Master Degree in Horticulture.	Nominated by Director Horticulture (1) Joint Director, Horticulture-Chairman (2)Deputy Director, Horticulture-Member (3)One member nominated by Director who shall be of Scheduled Castes/Tribes-Member.
2.	Horticulture Development Officer	--do--	--do--	Bachelor Degree in Horticulture/Agriculture/ Agriculture Engineering /Bio-technology	
3.	Rural Horticulture Extension Officer	--do--	--do--	Bachelor Degree in Horticulture/Agriculture/ Agriculture Engineering /Bio-technology/ Biology	

SCHEDULE-IV

(See rule 14)

S. No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the posts on which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for post	Name of members of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Horticulture Development Officer	Senior Horticulture Development Officer	5 years	Nominated by Director (i) Joint Director, Horticulture-Chairman (ii) Deputy Director, Horticulture-Member (iii) One member nominated by Director who shall be of Scheduled Castes/ Tribes-Member	-
2.	Rural Horticulture Extension Officer	Horticulture Development Officer	5 years	--do--	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9659/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मं उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	छछानपहरी प. ह. नं. 11	1.708	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद.	मोहड़ परियोजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. : भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्याक्तयों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	घोराघाटी प. ह. नं. 17	1.339	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य (वियर निर्माण एवं डूबान) निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागोय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	परसरामपुर प. ह. नं. 31	0.079	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	सूरजगढ़ नदीगांव मार्ग के कि.मी. 1/6 मार्ग पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बरपाली प. ह. नं. 22	0.285	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिंया.	केलो परियोजना अंतर्गत कठली वितरक नहर निर्माण (आर.डी. 4080 मी. से 5070 मी. तक) का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रैवार प. ह. नं. 21	0.049	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिंया.	केलो परियोजना अंतर्गत कठली वितरक नहर निर्माण (आर.डी. 1715 मी. से 1770 मी. तक) का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तिलगी प. ह. नं. 21	0.457	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिंया.	केलो परियोजना अंतर्गत कठली वितरक नहर निर्माण (आर.डी. 1770 मी. से 3240 मी. तक) का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	चिखली प. ह. नं. 21	1.058	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिंया.	केलो परियोजना अंतर्गत कठली वितरक नहर निर्माण (आर.डी. 0 मी. से 1770 मी. तक) का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सूपा प. ह. नं. 22	0.065	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिंया.	केलो परियोजना अंतर्गत कठली वितरक नहर निर्माण (आर.डी. 3240 मी. से 4080 मी. तक) का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तेलीपाली प. ह. नं. 26	1.205	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिंया.	केलो परियोजना अंतर्गत तेलीपाली माइनर नहर निर्माण (आर.डी. 0 मी. से 1020 मी. तक) का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक 6/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	झगराखांड़ प.ह.नं. 21	0.160	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	गौरेला-करंगरा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक 21/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कुवारीमुडा प.ह.नं. 30	0.200	कार्यपालन यंत्री, सिविल पारे. संभाग छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्या. बिलासपुर.	132 के. व्ही. उप केन्द्र निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे [illegible]ग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक[illegible] है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उ[illegible]न्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करत[illegible] है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	भरवीडीह	1.07	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	लखराम (चोरहा देवरी) जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	सिंघरी	0.23	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	लखराम (चोरहा देवरी) जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	लखराम	5.71	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	लखराम (चोरहा देवरी) जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2012

क्रमांक 3/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	कलमीटार प. ह. नं. 52	1.437	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2012

क्रमांक 04/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	खरगहना प. ह. नं. 52	3.407	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2012

क्रमांक 05/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खरगहनी प. ह. नं. 15	8.056	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्रमांक 65/क/अविअ/भू.अ./अ-82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	र.. रपाली	दर्राभांठा	1.49	कार्यपालन यंत्री (सिविल), मुख्यालय संभाग छ.रा.पा.पा.कं. मर्या. डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)	छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल 220 के. व्ही. उप केन्द्र निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्रमांक 61/क/अविअ./भू.अ./32/अ-82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	कलेण्डा	4.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्रमांक 62/क/अविअ./भू.अ./31/अ-82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	सुखापाली	2.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्रमांक 63/क/अविअ./भू.अ./30/अ-82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	भगतसरायपाली	4.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्रमांक 64/क/अविअ./भू.अ./33/अ-82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	तिहारीपाली	5.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	सिंघाली	0.990	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	खोलार नाला एनीकेट क्र. 2 के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	भेजीनारा	2.212	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	खोलार नाला एनीकेट क्र. 2 के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्रमांक 2001/भू.अ.प्र.क्र./01/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	मरसकोला प. ह. नं. 31	160.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.)	मोहड़ जलाशय परियोजना डुबान.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्रमांक 2002/भू.अ.प्र.क्र./02/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	दल्ली प. ह. नं. 46	158.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.)	मोहड़ जलाशय परियोजना डुबान.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्रमांक/2003/भू.अ.प्र.क्र./03/अ-८2/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	कोचेरा प. ह. नं. 21	0.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, बालोद (छ.ग.)	कुम्हालोरी एनिकट कम रपटा निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 5 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-मुरली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
249, 250	0.07
408	0.07
201/2	0.06
243	0.22
254/1, 258	0.39
409	0.09
407	0.09
387, 406	0.23
383	0.23
487	0.20
384	0.10
624	0.04
603	0.13
545/2	0.11
545/1	0.14
523/1	0.11
535	0.18
543	0.09
579	0.03

(1)	(2)
1291/1	0.39
1292/1	0.21
1305	0.12
166	0.07
1388/1	0.05
1299	0.11
1315	0.10
1369	0.09
1368	0.06
1360	0.13
1358	0.23
1361	0.23
1355/2	0.05
1292/2	0.05
योग 33	4.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलिहापारा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 5 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-उतरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.31 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1892/6, 1892/7	0.14
1892/13	0.08
1892/14	0.06
1892/12	0.10
1892/11	0.08
1894	0.45
1890/3	0.30
1889	0.09
1888	0.09
1881	0.08
1882	0.07
1884	0.08
1883	0.07
1742/1, 1742/2	0.25
1748	0.17
1754	0.15
1753	0.12
1765	0.40
1766	0.12
1590	0.35
1588	0.06
योग 21	3.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उतरदा जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 5 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-केराकछार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
663/2, 708	2.30
671	1.30
673/1ख	0.25
योग 3	3.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिटियाखार जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्रमांक/क/10423/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.65 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
705/5	0.80
670, 671	0.15
669	0.12
667	1.40
678/37	0.18
योग 5	2.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केन्दवाही व्यपवर्तन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-भलपहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
258	0.45
652	0.18
251/1, 252/1	0.30
251/2, 252/2	0.30
285/11	0.15
285/2	0.10
285/3	0.15
261/2	0.15

	(1)	(2)
	262	0.25
योग		2.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भलपहरी जलाशय के नहर एवं उलट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरबा
 (ख) तहसील-पाली
 (ग) नगर/ग्राम-केराकछार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.27 एकड़.

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	647	1.57
	705/2	0.70
योग	2	2.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिटियाखार जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-बिल्हा
 (ग) नगर/ग्राम-तिलसरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-698.67 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
3/1	2.52
4	0.10
9/1	0.10
11/2	0.40
11/3	1.07
11/4	1.97
11/5	0.65
11/7	0.25
11/9	0.35
11/11	0.35
11/12	1.00
11/13	0.22
11/14	0.51
11/15	0.52
12/1	0.58
13/1	0.52
13/2	0.52
14	0.40
15	0.64
16	0.80

(1)	(2)	(1)	(2)
17/1	2.00	27/1	1.48
17/2	1.70	27/2	0.60
17/3	1.50	27/3	0.55
17/4	0.30	27/4	0.30
18/1	1.20	28	0.28
18/2	2.60	29	0.90
18/3	2.80	30/1	1.30
18/4	0.50	30/2	1.32
19	1.50	30/3	0.42
20/1	0.85	30/4	1.52
20/2	0.85	30/5	0.93
21	3.07	30/6	0.39
22/1	0.52	31	0.30
22/2	0.50	32	1.37
22/3	1.12	34	0.91
22/4	0.37	35	0.22
22/5	3.30	36	0.40
22/6	0.32	37	0.87
22/7	1.05	38/1	0.45
22/8	0.40	38/2	0.50
22/9क	1.25	39	0.74
22/9ख	0.15	41	0.45
22/10	0.70	42/1	1.29
22/11	0.62	42/2	0.44
22/12	1.85	43	1.09
22/13	0.03	44	0.34
22/14	0.38	45	1.35
22/15	0.14	46	1.70
22/16	1.42	47	0.10
22/17	1.02	48	2.58
22/18	0.75	49	0.52
22/19	2.46	50/1	0.40
22/20	0.27	50/2	0.63
22/21	0.60	50/3	0.60
22/22	0.85	51/1	2.16
22/24	0.40	51/2	2.15
22/26	0.03	52/1	0.84
22/27	0.04	52/2	0.80
22/28	0.04	52/3	0.50
23/1	0.12	52/4	0.40
23/2	0.03	54/1	1.42
24/1	1.48	54/2	1.35
24/2	1.57	54/3	0.89
25/1	1.37	55/1	0.34
25/2	5.38	55/2	0.69
26	1.10	55/3	0.47

(1)	(2)	(1)	(2)
56	0.70	73/2	0.82
57	0.81	86/6	0.90
58	0.82	74	0.79
59/1	0.76	75/1	0.37
59/2	0.96	75/3	0.75
60/1	0.50	75/2	0.64
60/2	1.30	75/4	0.38
60/3	1.20	76	1.38
60/4	1.70	77	1.86
60/5	2.17	78	5.59
60/6	0.83	79/1	1.55
60/7	1.40	79/2	0.24
60/8	0.32	80/1	1.58
60/9	0.54	80/2	0.60
60/10	1.33	81	1.92
60/11	1.75	82/1	1.52
60/12	0.60	82/2	0.42
60/13	0.65	82/3	0.55
60/14	1.60	82/4	0.40
60/15	0.51	82/5	0.60
60/16	1.17	82/6	0.90
61/1	0.17	83/1	0.28
61/2	1.25	83/2	0.43
61/3	0.94	85/1	0.44
61/4	1.22	85/2	0.76
62	1.14	85/2क	1.26
63/1	1.24	85/2ख	1.37
63/2	2.06	86/1	0.61
63/3	0.43	86/2	1.78
64/1	0.32	86/3	1.56
64/2	0.90	86/4	1.62
65/1	0.53	86/5	1.42
65/3	0.44	86/7	0.62
65/2	0.88	86/8	0.62
66/1	1.60	87	3.16
66/2	0.86	88/1	0.30
66/3	0.67	88/2	0.76
67	1.00	89/6	5.00
68/1	1.89	89/7	5.00
68/2	0.33	93/3	0.94
69	2.27	94/2	0.46
70/1	2.58	95	1.30
70/2	0.53	96/2	0.78
71	0.90	97/3	0.26
72	0.86	99/3	0.50
73/1	1.08	99/4	0.80

(1)	(2)	(1)	(2)
99/5	0.80	127/3	0.50
101/2	0.50	127/4	1.00
102/1	0.46	128/1	0.27
102/2	0.04	131/1	0.75
103	1.78	128/2	0.27
108/1	0.06	131/2	0.47
108/2	1.10	129/1	0.50
108/3	1.89	129/2	1.02
108/4	0.80	130/1, 130/2	0.04
108/5	1.50	130/3, 130/4	0.51
108/6	1.18	130/5, 130/6	0.55
108/7, 108/14, 108/15	1.20	131/3	0.28
108/8	2.77	132	1.16
108/9	1.61	133/1	0.56
108/10	1.36	133/2	0.20
108/11	2.25	134/1	0.57
108/12	0.45	134/2	0.56
108/13	0.22	134/3	1.46
108/16	0.25	135	1.00
108/17	0.12	136/1	0.74
109	0.26	136/2	4.88
110/1	0.68	136/3	3.42
110/2	1.00	136/4, 204/2, 205/1, 206/2	1.52
111	0.76	136/5, 204/3, 205/2, 206/4	1.21
112/1	1.46	136/6	1.51
112/2	0.71	136/7	0.28
113/1	1.21	136/8	2.12
113/2	1.21	137	0.15
114	0.55	138/1	0.50
115	1.26	138/2	0.25
116	0.50	138/3	0.50
117	0.35	138/4	0.21
118/1	0.61	138/5	0.20
118/2	0.61	138/6	1.10
119	0.85	139	0.51
120	2.22	140	0.83
121	1.40	141	2.25
122/1	0.26	142	0.60
122/2	0.94	143	0.80
122/3	0.70	144/1	0.31
123	2.24	144/2	0.30
124	2.32	145/1	1.00
125	0.56	145/2	0.50
126/2	3.76	145/3	0.51
127/1	4.22	146/1	0.22
127/2	1.58	146/2	1.85

(1)	(2)	(1)	(2)
146/3	0.62	170/1	0.83
147/1	1.05	170/2	0.83
147/2	0.20	170/3	0.84
148	0.60	171/1	0.69
149	0.30	171/2	0.23
150	1.99	172/1	0.48
151/1	0.32	172/2	0.47
151/2	0.22	173/1	0.05
151/3	0.27	173/2	0.12
151/4	0.29	173/3	0.44
152/1	0.68	173/4	0.38
152/2	0.67	173/5	0.33
152/3	0.68	174	0.47
153	4.60	175	0.43
154	1.78	176/1	0.38
155	0.20	176/2	0.85
156	0.04	176/3	0.85
158	0.75	176/4	0.82
159/1	1.28	177/1	3.22
159/2	0.50	177/2	0.96
159/3	0.50	177/3	0.29
160	1.98	178/1	0.22
161/1	2.17	181/1	0.42
162/1	0.11	181/2	0.26
162/2	0.33	181/3	0.28
162/3	0.22	181/4	0.13
163/1	0.22	181/5	0.11
163/2	0.23	182/1	0.12
164/1	1.92	183/1	0.18
164/2	1.24	182/2	0.13
164/3	0.26	183/2	0.17
164/4	0.50	184/1	0.25
164/5	1.38	184/2	0.25
164/6	0.46	185	0.60
165/1	0.40	186/1	0.60
165/2	1.90	186/2	1.20
166	1.27	187	1.20
167/1	0.80	193	2.00
167/2	1.12	194/1	0.50
167/3	0.30	194/2	1.25
167/4	0.16	203/1	1.47
167/5	0.96	203/3	0.73
168	0.33	203/2	0.45
169/1	0.43	204/1	1.07
169/2	0.43	206/1	0.77
169/3	0.44	206/3	0.47

(1)	(2)	(1)	(2)
207	0.80	287/1	0.27
208	2.95	287/2	0.50
209	1.35	288	0.20
211/1	0.40	289/1	0.07
211/2	0.40	289/2	0.32
212	0.80	290	0.74
213	0.52	291	0.49
214	0.38	292	0.11
215	0.94	293	1.08
216/1	1.21	294	0.34
216/2	0.55	295	0.35
217/1	0.32	296/1	0.52
217/2	2.22	296/2	0.86
218	0.55	296/3	1.02
222/1	0.65	296/4	0.08
222/2	0.21	296/5	1.00
222/3	0.06	296/6	5.37
222/4	1.32	296/7	2.24
271/1	0.36	297/1	0.38
271/2	0.36	297/2	0.74
272/1	0.76	298/1	2.31
272/2	0.85	298/2	1.08
275	0.48	298/3	0.52
276/1	0.25	299	0.64
276/2	0.25	300	1.50
276/3	0.26	301/1	1.50
277/1	0.98	301/2	0.50
277/2	0.76	302/1	0.52
277/3	0.94	302/2	0.36
278	0.59	303/1	1.25
279/1	0.50	303/2	0.24
279/2	0.45	303/3	0.73
279/3	1.09	303/4	0.82
280/1	0.65	303/5	0.75
280/2	0.56	303/6	0.71
280/3	0.85	303/7	1.93
280/4	0.85	303/8	2.76
281	1.20	303/9	0.45
282/1	0.34	303/10	1.15
282/2	0.26	303/11	0.90
282/3	0.14	303/12	2.06
282/4	0.09	304	0.78
282/5	0.28	305/1	0.80
283	0.44	305/2	0.80
284	0.71	306	0.40
285	0.47	307	0.85

(1)	(2)	(1)	(2)
308/1	0.81	330/2	1.09
308/2	0.24	331/1	1.00
309/1	0.70	331/2	0.21
309/2	0.32	332/1	0.59
310/1	0.15	332/2	0.65
310/2	0.70	332/3	0.62
311	0.92	332/4	0.23
312	0.90	332/5	0.65
313	2.04	332/6	0.47
314	0.60	333/1	0.70
315	0.45	333/2	0.28
316/1	1.43	333/3	0.28
316/2	0.10	333/4	0.50
316/3	1.20	334	2.24
317	1.74	335/1	0.40
318	0.58	335/2	0.66
319	1.06	336/1	0.40
320/1	0.40	336/2	0.06
320/2	0.34	336/3	0.56
320/3	0.36	336/4	0.50
321/1	0.97	336/5	0.55
321/2	0.20	337/1	0.12
321/3	1.00	337/2	0.58
321/4	0.57	337/3	0.06
322/1	0.76	338/1	0.46
322/2	1.20	338/2	0.42
322/3	1.50	338/3	0.05
322/4	0.90	338/4	0.10
323/1	0.72	338/5	0.38
323/2	0.28	339/1	0.10
323/3	0.66	339/2	0.09
323/4	0.66	339/3	0.09
323/5	0.70	339/4	0.09
323/6	0.28	339/5	0.09
323/7	0.72	340	0.72
324/1	2.20	341/1	0.72
324/2	2.19	341/2	0.60
325	0.22	341/3	0.24
326	1.71	341/4	0.36
327	0.87	341/5	0.49
328/1	0.60	342/1	1.72
328/2	0.45	342/2	0.38
328/3	0.85	343/1	0.01
328/4	1.00	343/2	0.67
329	0.40	343/3	1.31
330/1	0.45	343/4	0.67

(1)	(2)
344/1	1.20
344/2	0.83
345	0.75
346	1.50
347/1	1.30
347/2	0.26
347/3	1.00
347/4	0.23
347/5	0.84
347/6	0.98
347/7	0.37
348/1	1.99
348/2	1.24
348/3	0.10
348/4	0.60
348/5	1.15
348/6	1.16
348/7	0.48
348/8	0.46
348/9	0.65
348/10	0.92
348/11	2.00
349/1	1.00
349/2	0.94
349/3	1.22
349/4	0.86
349/5	0.30
349/6	0.40
349/7	0.30
349/8	0.60
350/1	1.29
350/2	0.98
350/3	0.22
350/4	0.65
350/5	1.29
350/6	0.65
351/1	0.38
351/2	0.50
351/3	1.00
352	0.42
353	1.03
354/1	0.19
354/2	0.96
354/3	0.42
354/4	0.10
354/5	1.3[illegible]
355/1	1.4[illegible]
355/2	1.00
356/1	1.13
356/2	0.47
356/3	0.40
356/4	0.43
356/5	1.08
357/1	1.10
357/2	1.05
357/3	0.70
358/1	1.09
358/2	0.90
359	0.50
360/1	0.29
361/2	0.10
360/2	0.39
361/1	0.60
361/3	0.10
361/4	0.15
361/5	0.18
361/6	0.18
361/7	0.26
361/8	0.75
361/9	1.78
361/10	0.15
362	1.03
363/1	1.16
363/2	1.17
364	2.80
365	2.00
366	1.35
367	0.67
368/1	0.90
368/2	1.10
369/1	1.00
369/2	0.35
369/3	0.32
370/1	0.14
370/2	0.15
371/1	0.58
371/2	0.47
371/3	0.42
372/1	0.58
372/2	0.84
373	0.60
374	0.10
375/1	0.78

(1)	(2)	(1)	(2)
375/2	0.50	685/1	0.45
376	0.20	685/2	0.50
377	0.68	685/3	0.50
378/1	1.44	686	0.77
378/2	0.60	687	0.92
382/1	0.07	688/1	0.38
382/3	1.10	688/2	0.38
382/2	1.50	689/1	0.53
383	0.64	689/2	0.53
384/1	0.50	690	0.56
384/2	0.50	691	0.32
385/1	0.22	692	0.65
385/2	0.49	693	1.24
385/3	0.48	694	1.30
385/4	0.48	695	0.62
671/3	1.08	696	1.19
671/4	1.00	697/1	0.86
671/5	1.00	697/2	0.56
671/6	1.07	697/3	0.86
672/1	1.25	698/1	0.70
672/2	1.25	698/2	1.00
673/1	0.43	698/3	0.58
673/2	0.43	698/4	0.17
673/3	0.43	699/1	0.51
674	0.30	699/2	0.51
675/2	0.36	700/1	1.13
675/3	1.00	700/2	0.75
675/4	0.04	700/3	0.32
675/5	5.00	700/4	0.55
677	0.84	700/5	1.55
678/1	0.41	701	0.68
678/2	0.82	702	0.11
678/3	0.41	703	0.15
679/1	0.49	704	0.06
679/2	0.50	705/1	1.13
679/3	0.50	705/3	0.18
680	0.19	705/4	0.20
681	0.19	706	4.21
682/1क	1.00	707	0.01
682/1ख	1.00	708	1.59
682/1	1.00	709/1	0.63
682/2	2.66	709/2	0.58
682/3	0.20	709/3	0.08
683	1.05	709/4	0.67
684/1	0.84	710/1	0.53
684/2	0.70	710/2	0.83

(1)	(2)
711/1	0.01
711/2	1.99
711/3	0.70
712/1	0.65
712/2	1.30
712/3	1.40
712/4	1.35
712/5	0.64
713/1	0.18
713/2	0.78
713/3	0.40
713/4	1.34
714/1	0.71
714/2	0.50
714/3	0.50
715/1	0.12
715/2	0.43
715/3	0.80
715/4	0.20
715/5	0.30
716/1	1.30
716/2	0.70
717/2	0.36
717/3	1.24
718	0.56
719	3.98
722	0.24
725/2	0.38
720/1	0.37
720/2	0.21
720/3	0.12
720/4	0.36
720/5	0.31
721	1.03
723	1.24
725/1	0.68
725/3	0.50
726/1	1.00
726/2	2.12
727/1	0.75
727/2	0.63
727/3	1.15
727/4	0.50
728/1	0.22
728/2	0.20
728/3	1.14
728/4	0.25
728/5	0.30
728/6	0.16
728/7	0.16
728/8	0.25
729/1	1.15
729/2	0.42
729/3	0.46
729/4	1.10
729/5	1.19
730	0.31
731	0.31
732/1, 732/4	0.99
732/2	0.77
732/3	1.35
732/5	0.83
732/6	1.02
733/1	1.20
733/2	0.90
733/3	0.95
733/4	0.35
733/5	0.90
733/6	0.45
733/7	0.60
733/8	0.60
734/1	0.75
734/2	0.27
735/1	1.22
735/2	0.39
736	0.88
737	0.94
738	0.32
739	0.53
योग 836	698.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सैन्य छावनी स्थापित किये जाने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-चकरभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.73 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
551/1	1.54
551/2	0.62
575/1	0.17
579/1	1.17
584	0.40
585	0.91
591/1	0.25
591/2	0.40
579/2	0.40
579/3	0.24
579/4	0.10
579/5	0.14
580/1	0.62
580/3	0.25
581/1	0.54
581/5	0.32
581/7	0.32
581/2	0.40
581/3	0.15
581/4	0.22
581/6	0.54
582	0.76
583	0.98
586/1	0.13
586/2	0.86
587/1	0.30
587/2	0.26
588/2	0.35
592	0.57
588/1	0.45
588/3	0.35
672/1	0.76
672/3	0.26
योग 33	15.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सैन्य छावनी स्थापित किये जाने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

खरसिया, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/12-13.—ग्राम बेन्दोझरिया, प.ह.नं. 34, (भू.अ.प्र.क्र.-03/अ-82/2012-13) तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ की निजी भूमि 9.069 हेक्टे. का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र दिनांक 14-12-2012 के भाग 1 में पृष्ठ क्रमांक 2657 एवं 2658 में अधिसूचना प्रकाशित हुई है जिसके पृष्ठ क्रमांक 2658 में खसरा नं. (168/1, 168/2, 168/3, 164/4, 168/5, 168/6, 170/1)/1 प्रकाशित है जिसमें 168/4 के स्थान पर 164/4 हो गया है जिसे सुधार कर 164/4 के स्थान पर 168/4 संशोधित करते हुए (168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 170/1)/1 पढ़ा जावे.

एम. एल. साहू,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)